

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,

BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 690 के लिए संशोधन सहित नवीकरण / Amendment cum Renewal of Type Approval No.690 मद/FOR ITEM: अल्यूमिनियम ब्रोन्ज़ छड़, ग्रेड ब्राज़मिस 10-3-1.5/ Aluminium Bronze Rod, Grade BRAZHMIS 10-3-1.5

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स इन्डोक्स इंजिनीयर्स, पुणे – 411 026, द्वारा विकसित तथा उत्पादित " अल्यूमिनियम ब्रोन्ज़ छड़, ग्रेड ब्राज़िमस 10-3-1.5" को संदर्भ सं .एरो/आरडी-132/ 106/ 3/ 690, दिनांक 07 जून 1993 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 690 जारी किया गयाथा तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलेक/ /5070 टीए-690 /2आर द्वारा 17 जून 2004 को नवीकरण किया गया था जो कि 30 जून 2009 तक वैध था।

This is to state that the "Aluminium Bronze Rod, Grade BRAZHMIS 10-3-1.5", developed and manufactured by M/s. Indowse Engineers, Pune – 411 026, was issued with Type Approval No. 690 vide Ref. No. Aero/RD-132/106/3/690, dated: 07th June 1993 and subsequently renewed on 17th June 2004 vide ref No. CEMILAC/5070/TA-690/2R and is valid up to 30th June 2009.

उक्त वर्ग अनुमोन सं. 690 में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा। The following Amendment is effected in the subject Type Approval No.690.

For			Read as
For manufacti	re of bus	hes for	Used for fabrication of aircraft (Su-30 & MiG
under carria			series) components such as: valves, bushes,
airborne stores.			screw nut, end terminal, washers, spacers
			etc.

된 Page 01 of 02

पृष्ट/Page 02 of 02 टीए सं./TA No. 690

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2014 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा यह 31 दिसंबर 2018 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने की तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सिम्मिलित करते हुए, उत्पादित मात्रा एवं अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सिम्मिलित सभी संलग्न दस्तावेज़ों के साथ आर सी एम ए (नासिक), से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र की अन्य सभी शर्ते वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 1st Jan 2014 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st Dec 2018 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nasik), three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं./No.:सेमिलेक/CEMILAC/5070/टीए/TA-690/1A/3R

दिनांक/Date : **JO** *Dec 2013* फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

88 1911213 (डॉ.के.तमिलमणि/ Dr. KATAMILMANI) महा निदेशक (एरो)/ Director General (Aero) मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)